



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

## आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-151

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 274879 दिनांक 29/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Rajesh Ahuja S/o Darshan Lal Ahuja एवं Gulshan Kumar Ahuja S/o Darshan Lal Ahuja	श्रीमती सरोज रानी आहुजा पत्नि श्री दर्शल लाल आहुजा	172	227.95 SQ. YARD	Private	BANK OFFICERS CAMPUS-D Sector/Block-	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed)   Original Lease Deed (Patta)	निजी खातेदारी की योजना बैंक ऑफीसर्स-डी के भूखण्ड संख्या 172 क्षेत्रफल 227.95 वर्गगज की लीजडीड श्रीमती सरोज रानी आहुजा पत्नि श्री दर्शल लाल आहुजा के नाम से जारी किया गया। तत्पश्चात भूखण्डस्वामी श्रीमती सरोज रानी आहुजा पत्नि श्री दर्शल लाल आहुजा का स्वर्गवास दिनांक 12.03.2023 को हो गया था। तत्पश्चात अचल सम्पत्ति का हकत्याग पत्र दिनांक 15.12.2025 को श्री सुभाष आहुजा पुत्र श्री दर्शल लाल आहुजा के द्वारा श्री गुलशन कुमार आहुजा एवं राजेश आहुजा पुत्र श्री दर्शल लाल आहुजा के पक्ष में कर दिया गया। आवेदक द्वारा फ्री-होल्ड हेतु आवेदन किया गया है।



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर [jda.rajasthan.gov.in](http://jda.rajasthan.gov.in) पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Rajesh Ahuja S/o Darshan Lal Ahuja एवं Gulshan Kumar Ahuja S/o Darshan Lal Ahuja को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।

2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |